

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.02.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 02.02.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.वीरेन्द्र गौड़ पुत्र सन्त प्रसाद सा0 बेलवा बाजार थाना महुआडीह जनपद देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.कन्हैया वर्मा पुत्र दमड़ी वर्मा सा0 भीखमपुर रोड थाना कोतवाली देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.गुड्डू प्रसाद पुत्र बन्धु प्रसाद सा0 धनौती थाना खुखुन्दू देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त **01.अवधेश पुत्र बोधी सा0 रिति थाना रायबरेली जिला रायबरेली** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बनकटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.संजय हंसदा पुत्र महाबीर हंसदा सा0 गंजाड तालुका पालघर थाना वलसाड महाराष्ट्र** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वाहन महिन्द्रा मैजिक नम्बर जीजे 15 एवी 0811 में अवैध अंग्रेजी शराब 01 पेटी 8 पीएम फ्रुटी प्रत्येक 180 एमएल कुल 48 पाउच व 5 पेटी रॉयल स्टेग प्रत्येक पेटी मे 12 शीशी प्रत्येक 750 एमएल कुल 60 शीशी बरामदकर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 02.02.2021 को थानाध्यक्ष कोतवाली मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर पिपरपाती पुलिया के पास से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **01.कमलेश मिश्रा पुत्र मनोज मिश्रा सा0 बरेजी थाना खुखुन्दू देवरिया** बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुये कोतवाली पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक **02.02.2021** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➔ थाना-गौरीबाजार मु0अ0सं0 28/2021 धारा-302,201,120बी भादवि 01.शिवम चैहान पुत्र मदनलाल 02.अरमान अली पुत्र मजनु 03.सैफ अली पुत्र साबिर सा0 हरेरामपुर थाना गौरीबाजार, देवरिया।

04.निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 02.02.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 02.02.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 109 वाहनों से 108100 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

